इनके अतिरिक्त दिल्ली के विभिन्न हिस्सों को कवर करने के लिए दो गश्ती दल तैनात किए गए हैं ।

डीजल से चलने वाले वाहन :
(1) निरीक्षण यूनिट–बुराड़ी 2

(ख) और (ग) दिल्ली मोटरयान नियम, 1940 के अनुसार 1–4–89 से 30–6–89 के दौरान दिल्ली प्रशासन ने यानों के धुएं के स्तर की जांच की है जो इस प्रकार हैं :—

	कुल	उपयुक्त	अनुपयुक्त
जांचे गए माल वाहनों की संख्या	15602	10826	4776
जांची गई ऑटो-रिक्शाओं की संख्या	12419	8730	3689

जनवरी, 1988 से मार्च, 1989 के दौरान 14303 वाहनों का अधिक धुआं छोड़ने के लिए चालान किया गया था ।

(घ) केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के अनुसार मोटर यानों के धुआं उत्सर्जन स्तर की जांच करने संबंधी नियम 1–10–89 से लागू हुए । राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों से अनुरोध किया गया है कि वे इन नियमों को अमल में लाने के लिए स्वयं को आवश्यक उपस्कर/मशीनों से लैस कर लें ।

राजस्थान में रेलवे स्टेशनों की दशा में सुधार करने के लिए सर्वेक्षण

889. **श्री संतोष बागड़ोदिया** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने राजस्थान राज्य के विभिन्न रेलवे स्टेशनों की दशा सुधारने के लिए कोई सर्वेक्षण करने का निर्णय लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस राज्य के प्रत्येक रेलवे स्टेशन पर प्रस्तावित सुधार कार्यों का ब्यौरा क्या है तथा इस कार्य पर अनुमानतः कितनी धनराशि व्यय की जाएगी ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) स्टेशनों का सुधार करना एक सतत प्रक्रिया है और जिसे आवश्यकता पर आधारित कार्यक्रम के अनुसार किया जाता है बशर्ते कि धन उपलब्ध हो । राजस्थान में स्टेशनों का इसी आधार पर उत्तरोत्तर सुधार किया जा रहा है ।

राजस्थान के स्कूलों के भवनों के निर्माण के लिए धनराशि की स्वीकृति

890. **श्री संतोष बागड़ोदिया** : क्या **मानव संसाधन** विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने नई शिक्षा नीति के अंतर्गत राजस्थान के पिछड़े इलाकों में स्कूलों के भवनों के निर्माण के लिए अतिरिक्त धनराशि मंजूर करने का विचार कर रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) और (ख) नई शिक्षा नीति के अन्तर्गत राजस्थान के पिछड़े क्षेत्रों में स्कूल भवनों के निर्माण के लिए अतिरिक्त निधियां संस्वीकृत करने का केन्द्र सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है । तथापि, स्कूल भवनों के निर्माण को सुकर बनाने के लिए राज्य को निम्नलिखित रूप में सहायता प्रदान की गई है :—

1. 9वें वित्त आयोग ने वर्ष 1989-90 से संबंधित अपनी प्रथम रिपोर्ट में स्कूल भवनों के निर्माण के लिए